संख्या-14/2025/I/859092/2025/71-1001(099)/146/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज जालौन हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/337, दिनॉक 25.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 550.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-789-03-02-राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कुल धनराशि **रू0 550.00 लाख (रू0 पॉच करोड़ पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (**संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार**) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक** 2210057890302 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन **मानक मद 29 अनुरक्षण** (*2*) रुपये 4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक** 2210057890302 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन **मानक मद 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जालौन।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20242025-71-1001-099-146-2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)	01 (वेतन)	30,00,00,000 रुपये तीस करोड़ मात्र	5,50,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र	5,50,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र	5,50,00,000 रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र	24,50,00,000 रुपये चौबीस करोड़ पचास लाख मात्र	2024-2025
कुल					₹ 5,50,00,000	₹ 5,50,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	4,50,00,000 रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र	4,50,00,000 रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र	11,50,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र	2024-2025
083	2210057890302 (राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन)	29 (अनुरक्षण)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,40,00,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र	2024-2025
कुल				₹ 5,50,00,000	₹ 5,50,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज जालौन 01-वेतन मद में रू0 550.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज उरई, जालौन ने पत्र दिनांक-21-10-2024 के माध्यम से 2024-25 में कालेज में अत्यंत आवश्यक अनुरक्षण कार्यो को कराये जाने हेतु अनुरक्षण मद में रू0 100.00 लाख आउटसोर्सिंग के आधार पर सुजित कुल 669 पदों पर कार्मिकों की तैनाती के लिए सेवाप्रदाता फर्म का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है तथा शासन द्वारा मानव संसाधन की आपूर्ति रू0 1052.09 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम से सम्बन्धित सुरक्षा कार्मिकों का भुगतान भी इसी मद में किया जा रहा है। कालेज स्तर पर पूर्व की लम्बित देयता भी उपलब्ध है। वितीय वर्ष में मानक मद-58-आउटसोर्सिन सेवाओं हेतु भुगतान हेतु मात्र रु० 700.00 लाख का बजट प्राविधान है, जो पूर्ण व्यय हेा चुकी है, जिसके कारण आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन प्रदान किये जाने एवं पूर्व की लम्बित देयता का भुगतान किये जाने हेतु रु० 450.00 लाख, अत: उक्तानुसार मदों में कुल रु0 550,00 लाख की पुनर्विनियोग की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-240-E-3-287-X-2024-25-दिनांक:08-01-2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)

अनु सचिव।

संख्या : / , दिनांक- जनवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।